टेलीफोन जिले के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

(ख) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्य-काल दो वर्षों का है। दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन/पुर्नगठन एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि इसका कार्य-काल केवल 2 वर्षों का है और समय-समय पर अतिरिक्त टेलीफोन जिले टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए पात्र बन जाते हैं।

(ग) दिनांक 1.1.94 से 30.4.94 के बीच निम्नलिखित टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन/पुर्नगठन किया गया:—

असम	**गोवा**	**अरूणाचल प्रदेश**
असम	गोवा और	अरूणाचल
गुवाहाटी	पणजिम	प्रदेश
बिहार	**हरियाणा**	**मणिपुर**
बिहार	हरियाणा	इम्फाल
	हिसार	
	रोहतक	
	फरीदाबाद	
जम्मू और कश्मीर	**पंजाब**	
जम्मू और कश्मीर	अमृतसर	
श्रीनगर	लुधियाना	
जम्मू	पठानकोट	
मध्य प्रदेश		
रायपुर		

हिमाचल प्रदेश में मुख्य डाकघर

6377. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभाग के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक जिले में मुख्य डाकघर होना चाहिए और पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में नियमों में रियायत देकर उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर कर दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के केवल लाहौल और स्पीति जिलों में मुख्य डाकघर न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार, यदि किसी जिले में कोई प्रधान डाकघर नहीं है, तो वहां प्रधान डाकघर खोलने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसके साथ उसी जिले के कम से कम 20 उप डाकघर सम्बद्ध किए जा सकें, और कि अवशिष्ट प्रधान डाकघर के साथ शेष उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न होने पाए। पिछड़े क्षेत्रों के मामले में मानदंडों में ढील दी जा सकती है यदि प्रधान डाकघर कार्य-प्रचालन और प्रशासनिक दृष्टि से अन्यथा औचित्यपूर्ण पाया जाए।

(ख) लाहौल और स्पीति जिले के जिला मुख्यालय के लांग में उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के मामले की जांच की जा रही है।

Telecom Policy

6378. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Telecom policy is proposed to be announced soon;

(b) whether any disinvestment was done by selling shares to LIC/UTI; and

(c) if so, what is the progress and for how much period and on what condition the employees can be sent on deputation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise as the new Telecom Policy has not been announced so far.

एस० टी० डी० कोड नम्बर

6379. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा फरीदाबाद और अहमदाबाद के एस०टी०डी० कोड नम्बरों में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अलग-अलग शहरों के लिए कोड नम्बर तीन अंकों से आठ अंकों तक के होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डाक विभाग के पिन कोड नम्बरों की भांति ही एस०टी०डी कोड नम्बरों में भी एकरूपता लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां। पहले फरीदाबाद का एस०टी०डी० कोड 01182 तथा अहमदाबाद का एस०टी०डी० कोड 0272 था। अब नए कोड क्रमशः 0129 तथा 079 हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस०टी०डी० काल के लिए डायल अंकों की कुल संख्या केवल 10 तक होनी चाहिए। जिन शहरों में उपभोक्ताओं का डायरेक्टरी नम्बर 7 अंकों में है उन शहरों के लिए एस०टी०डी० कोड के लिए अधिकतम 3 अंक होते हैं तथा जिन स्थानों के उपभोक्ताओं के डायरेक्टरी नम्बर 2 अंकों में होते हैं वहां एस०टी०डी० कोड आठ अंकों तक हो सकता है।

त्रिमुहानी घाट गांव में डाकघर खोला जाना

6380. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या संचार मंत्री 19 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 3735 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जरिसों डाकघर से ग्राम त्रिमुहानी घाट लक्ष्मीपुर, कटवासा, महरजी, नन्दापट्टी, कोपीमुसहरी, भागवतीपुर, दुर्गोचक, लवाणी, पिपरा आदि ग्रामों को आज तक कोई सुविधा प्रदान की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये गांव आधा कि०मी० (1/2कि०मी०) के क्षेत्र में स्थित हैं और उनकी आबादी 15—20 हजार है; और

(ग) यदि हां, तो इन गांवों के लिए गांव त्रिमुहानी घाट में डाकघर खोलना किन कारणों से अव्यवहारिक है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जरिसों डाकघर से केवल लवाणी को बहुत पहले से डाक सुविधा प्रदान की जाती रही है, जो कि जरिसों गांव का एक पुरवा है। अन्य शेष गांवों/पुरवाओं को इस समय प्रदान की जा रही डाक सुविधा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ख) ये गांव/पुरवा 15 से 16 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के अंतर्गत यहां-वहां स्थित हैं और इनकी कुल जनसंख्या, इनके राजस्व ग्रामों सहित, लगभग 15 से 20 हजार बैठती है।

(ग) डाकघर ऐसे ग्राम पंचायत ग्रामों में खोले जाते हैं जो जनसंख्या, निकटतम मौजूदा डाकघर से दूरी और आय संबंधी विभागीय मानदंडों को पूरा करते हों। जहां तक त्रिमुहानी घाट का संबंध है, ये सभी मानदंड पूरे नहीं होते। इसलिए, इस समय यहां डाकघर खोलने का औचित्य नहीं है।

विवरण

उन अन्य शेष गांवों/पुरवाओं का ब्यौरा जहां इस समय डाक सुविधा प्रदान की जा रही है

क्र० सं०	गांव/पुरवा का नाम	क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाले डाकघर का नाम
1.	त्रिमुहानी घाट (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
2.	लक्ष्मीपुर (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
3.	नन्दापट्टी	बहेड़ा
4.	कोपीमुशारी (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
5.	कटवासा	सुजानपुर